[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या. 02/2017-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ). - जबकि, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ (तत्श्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाली और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (तत्श्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7210, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत आने वाले "मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के कलर कोटेड/प्री-पेंटेड फ्लैट प्रोडक्ट " (तत्श्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में सदर्भित किया गया है), जिनका भारत में आयात किया जाता है, के मामले में पदनामित प्राधिकरी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं 14/28/2016-डीजीएडी, के अंतर्गत प्रकाशित अपनी प्रारंभिक जांच-पड़ताल में निम्नलिखित अनंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(क) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;
(ख) घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से विषयगत आयात के कारण भारी नुकसान हुआ है;
(ग) यह नुकसान विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप आयात के कारण हुआ है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को समाप्त करने के आशय से विषयगत देशों में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के भारत में किए जाने वाले आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अब, अत: केंद्र सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (डंप्ड मदों की पहचान, उनका मूल्य निर्धारण और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा नुकसान का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त प्रारंभिक निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण निम्न तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए देशों में उत्पादित होती हैं, कॉलम (5) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए देशों से निर्यातित होती हैं, कॉलम (6) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित होती हैं, कॉलम (7) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाती हैं, के भारत में आयात किए जाने पर कॉलम (10) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पैमाइश की इकाई के अनुसार उस दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है जो कि विषयगत वस्तुओं के लैंडिड मूल्य और कॉलम (8) की तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित धनराशि के अंतर के समतुल्य हो, बशर्ते कि लैंडिड मूल्य, कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट मूल्य से कम हो, अर्थात् :-

तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक देश	निर्यातक	धनराशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	7210, 7212, 7225 और 7226	प्रीपेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड, या आर्गेनिक कोटेड, फ्लैट स्टील्स, चाहे वे कॉयल्य में हों या न हों, चाहे वे जिंक, एल्यूमीनियम-जिंक के मैटेलिक कोटेड सबस्ट्रेट या अन्य किसी सबस्ट्रेट वाले हों या नहीं, इनमें वे प्लेटें शामिल नहीं है जिनकी मोटाई 6 मिमी या इससे अधिक हो	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन जनवादी गणराज्य	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	उपरोक्त	उपरोक्त	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	उपरोक्त	उपरोक्त	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

5.	उपरोक्त	उपरोक्त	यूरोपीय संघ	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	उपरोक्त	उपरोक्त	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	849	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम 6 माह (जब तक इससे पूर्व रद्द, अधिक्रमित अथवा संशोधित नहीं कर दिया जाए) के लिए लागू होगा तथा इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएकगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए-

(क) इस अधिसूचना के आशय से आयात के 'लैंडेड मूल्य' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारण मूल्य से हैं और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगने वाले उद्ग्रहण को छोड़कर सभी सीमाशुल्क ड्यूटियां शामिल हैं;

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के आशय से लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रायोग करते हुए समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाती है और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ एंट्री के प्रस्तुतीकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/190/2016 -टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार